न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—470/2010/75 (2010/00019)

1. संजय गोयल पुत्र कैलाशचंद्र गोयल,
2. चेतन गोयल पुत्र कैलाशचंद्र गोयल,

समस्त निवासी अशोक विहार कॉलोनी, अजमेर, तह0 व जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. नगर सुधार न्यास, अजमेर जरिये सचिव, नगर सुधार न्यास, अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।

रेस्**पोडेंटस**

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर, दिनांक 2.1.1998 आदेश क्रमांक क.अ./राजस्व/एफ—12 (सी)/2371/126/97/01 .

उपस्थितः—

1. श्री घनश्यामसिंह लखावत, वकील अपीलांटस ।
2. श्री गिरीश शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः—10.4.2019

1. यह अपील विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश क्रमांक क.अ./राजस्व/एफ—12 (सी)/2371/126/97/01 दिनांक 2.1.1998 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने आदेश क.अ./राजस्व/एफ—12 (सी)/2371/126/97/01 दिनांक 2.1.1998 के द्वारा ग्राम बोराज काजीपुरा, तहसील व जिला अजमेर की भूमियों के साथ—साथ खसरा संख्या 901, 902 व 903 को अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को हस्तांतरित किये जाने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अपीलांटस ने मेघा पुत्र हरजी, मेवा पुत्र हरजी तथा गोरी पत्नि हरजी से ग्राम हाथीखेड़ा स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 904 व 906 जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय की ता मौके पर भूमि का भौतिक स्थिति अनुसार बरोज विक्रय पत्र निष्पादन के दिनांक 29.12.

2001 को विक्रेत4ा ने जिस प्रकार से भूमि का दखल दिया उसमें खसरा संख्या 901, 902, 903 की भूमि भी शामिल थी जिस पर अपीलांटस काबिज काश्त चला आ रहा है । पूर्व राजस्व अभिलेख में भूमि दीपचंद पुत्र भूरालाल की मालिकाना हक से अंकित रही जो जमाबंदी संवत् 2015 से 2018 में किये गये अंकन से स्पष्ट है तथा हरजी पुत्र सुन्दरा जो पूर्व खसरा नंबर 620, 621, 622, 624 व 625 का खातेदार हो चुका था तथा उक्त सभी खसरा नंबरान पास–पास एक चक में थे परन्तु खसरा संख्या 621 बाबत् हक खातेदारी का इंद्राज आगामी जमाबंदी में भी हरजी पुत्र सुन्दरा के नाम नही ंहो सका, परन्तु उनके जीवनकाल में उनका कब्जा रहा है तथ उनके वारिसान द्वारा भौतिक धारण अपीलांटस को संभलाया गया, विगत 50 वर्षो से उक्त भूमि काश्तकारी की भूमि है । विद्वान जिला कलक्टर को बिना भौतिक धारण की जांच किये भारयुक्त भूमि को हस्तातंरण करने का कोई अधिकार नहीं था । बहस में आगे कथन किया कि खसरा गिरदावरी व खसरा परिवर्तनशील पर लगतार उक्त भूमि पर काश्त कब्जा सुन्दरा के वारिसान का चला आ रहा है जिससे पूर्णतया स्पष्ट है कि राजस्व अभिलेख में हक खातेदारी बाबत् प्रविष्टिया समुचित रूप से नहीं की गई है । अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन हस्तातंरण आदेश पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ं। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई एवं न ही काबिजह काश्तकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया जिससे अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांटस को तत्समय नहीं हो सकी थी । विगत माह नवम्बर में नगर सुधार न्यास, अजमेर के कर्मचारीगण मौके पर आये तथा प्रार्थीगण को कब्जा हटाने बाबत् कहा जिस पर जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि जिला कलक्टर द्वारा यह भूमि नगर सुधार न्यास को हस्तातंरित कर दी गई है । तत्पश्चात् अपीलांटस ने जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन किया तथा प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है। अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे।

6. जवाब बहस में विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 व राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 ने बहस में कथन किया कि विवादित भूमि सिवायचक होने से जिला कलक्टर, अजमेर ने रेस्पो0 संख्या 1 को हस्तातंरित की है एवं वर्तमान में विवादित भूमि रेस्पो0 संख्या 1 के नाम दर्ज है । यह भी कथन किया कि अपीलांट ने अपील मियाद बाहर पेश की है जो खारिज किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है ।

8. प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया था जबकि विवादित भूमियां अपीलांटस के पिता के नाम चौसाला जमाबंदी में खातेदारी से दर्ज है । अपीलांटस को सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने से अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांटस को प्रारंभ से होना नहीं माना जा सकता है । अपीलांटस द्वारा विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक है । अतः न्यायहित में विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

9. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमियां राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज है । स्वंय अपीलांटस द्वारा अपीलमीमों के पैरा संख्या 3 में यह कथन किया है कि जमाबंदी संवत् 2015 से 2018 के बाद अपीलाधीन भूमि सिवायचक दर्ज रही है । अपीलांटस द्वारा अपीलाधीन भूमि की हक खातेदारी सक्षम न्यायालय द्वारा चाराजोही कर प्राप्त कर ली हो ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की है । अपीलांटस ने मात्र कब्जा पत्र के आधार पर विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के हस्तातंरण आदेश को चुनौती दी है जो विधिसम्मत् नहीं है क्योंकि कब्जा पत्र से अपीलांटस को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है । दौराने हस्तातंरण विवादित आराजियात सिवायचक होने से विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने विवादित भूमियां अजमेर विकास प्राधिकरण को हस्तातंरित की है । विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश में हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर का आदेश दिनांक 2.1.1998 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

10. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश क्रमांक क.अ./राजस्व/एफ–12 (सी)/2371/126/97/01 दिनांक 2.1.1998 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 10.4.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर